

अंचल अधिकारी का कार्यालय, गोविन्दपुर

आग्रेख वाद संख्या- ३४३/१९-२०२०

दिनांक	आदेश फलक	अभियुक्ति
६.३.२०२०	<p>वाद का प्रकार- बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।</p> <p>झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-२०७४/रा०, दिनांक-१३.०५.२०१६ सहपठित- श्री अनुज मुखर्जी, निदेशक, भू-अर्जन-सह-विशेष संचिय, राजस्य एवं भूमि सुधार पिभाग का पत्र संख्या-३-खा०म०निति-११९/८५/२३०८/रा०, दिनांक-०३.०९.१९८५ एवं सह-पठित राजस्य विगाचीय, परिपत्र संख्या-९१४/रा०, दिनांक-०९.१२.१९९८ में निहित निदेश के अनुपालन में गैरमजरुआ खास भूमि की कायम की गयी जमावदियों की जॉच प्रममा की गयी। जॉच के क्रम में हल्का राजस्य कर्मचारी एवं अ०नि० द्वारा प्रतिवेदित किया गया है, कि निम्नांकित विवरणी की भूमि <u>जॉची७८</u>, थाना नं०- ११९, खाता संख्या- १० प्लॉट संख्या- _____, रक्का- _____ एकड़ की भूमि जो गैरमजरुआ खास, अनावाद विहार (झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि हैं, जिसकी जमावदी उस मौजा के पंजी-II के जिल्द संख्या- _____ के पृष्ठ संख्या- १२७ पर जमावदी रैयत <u>झौरे० ११४८ी</u> के नाम से कायम है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरुद्ध कायम जमावदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।</p> <p>हल्का कर्मचारी एवं निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है, कि उपर्युक्त जमावदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोवस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसकी उधेश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।</p> <p>प्रथम दृष्ट्या उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमावदी अवैध प्रतीत होती है, जिसकी विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।</p> <p>अतएव संबंधित जमावदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू-खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण-पृच्छा करें, कि क्यों नहीं उक्त जमावदी को अवैध मानते हुए इसे विहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा ४(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाय।</p> <p>अभिलेख दिनांक- २०.३.२०२० को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">०६/३/२० अंचल अधिकारी गोविन्दपुर</p>	

20.03.2020

अभिलेख उपस्थापित। नोटिस तामिला प्राप्त। निर्धारित तिथि को जमावंदी रैयत/जमावंदी रैयत के दंशज के द्वारा उक्त मूमि से संबंधित किसी प्रकार का दस्तावेज समर्पित नहीं किया गया और न ही अपना पक्ष ही रखा गया।

अतः उक्त जमावंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) मूमि सुधार अधिनियम 1950 की घारा 4(h) के तहत जमावंदी को रद करने हेतु अनुशंसा की जाती है। अग्रेतर कार्रवाई हेतु अभिलेख मूल में मूमि सुधार उपसमाहता को भेजे।

१३
२०/३/२०२०

अंचल अधिकारी
गोविन्दपुर